

फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री कमलेश पिता श्री नारायण रेगर निवासी रेगर मौहल्ला केलवा तहसील व जिला राजसमन्द
— अपीलांत

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रेलमगरा

— रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 14/2019

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>दिनांक 26.11.2019</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रेलमगरा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रेलमगरा को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रेलमगरा द्वारा जरिये क्रमांक: रीडर/सूचना का अधिकार/2019/772 दिनांक 23.09.2019 से प्राप्त रिपोर्टनुसार प्रार्थी को कार्यालय हाजा द्वारा उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार कार्यरत अनुसूचित जाति के कर्मचारियों व अधिकारियों संबंधित सूचनाएं दिनांक 21.08.2019 को साधारण डाक के माध्यम से अपीलार्थी के आवास के पते पर वांछित सूचनाएं भिजवायी गयी है।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रेलमगरा की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रेलमगरा की रिपोर्टनुसार अपीलार्थी को वांछित सूचना दिनांक 21.08.2019 को साधारण डाक से प्रेषित की जा चुकी है। अतः उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रेलमगरा को भिजवायी जावे।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं० से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	



लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द